

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 795/2014/जोधपुर

2. अपील संख्या - 796/2014/जोधपुर

मैसर्स सनसिटी एलॉयज (प्रा०) लिमिटेड,  
ई-421, एम.आई.ए., द्वितीय फेज, बासनी, जोधपुर.  
.....अपीलार्थी

### बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्-तृतीय, जोधपुर. ....प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य  
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

### उपस्थित :

श्री एन. एम. मेड्डिया,  
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.01.2016

### निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 71/RVAT/JUC/12-13 एवं 69/CST/JUC/12-13 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 10.01.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्-तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' की जायेगा) की धारा 9 सप्तित वेट अधिनियम की धारा 24 एवं वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 के अन्तर्गत वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत रूपये 17171265/- तथा विस्तार के लिये रूपये 45,61,000/- का लाभ स्वीकृत था। व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम लागू होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.3.2006 (जिसे आगे 'आस्थगन योजना के लिये अधिसूचना' कहा जायेगा) के तहत विकल्प प्रस्तुत किये जाने पर आस्थगन योजना का लाभ क्लॉज-(4) अनुसार नियमानुसार स्वीकृत था। आलौच्य अवधि के कर निर्धारण के वक्त कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण पत्रों वैट-10 व वार्षिक विवरण पत्रों वैट-10ए में आस्थगित लाभ की गणना निर्गत कर (आउटपुट टैक्स) के आधार पर कर के आस्थगन लाभ का दावा किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि आस्थगन योजना व वेट अधिनियम के प्रावधानानुसार आस्थगन लाभ व्यवहारी द्वारा चुकाये जाने वाले शुद्ध कर दायित्व पर ही देय है। इसलिए व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात आस्थगन योजना के लिये अधिसूचना के क्लॉज (4) तथा वेट अधिनियम की धारा 17 में प्रावधित अनुसार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटिशन संख्या 10230 / 2009 में उमा पॉलिमर्स लिमिटेड बनाम राज्य के निर्णय का अवलंबन लेकर वेट अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम के तहत आस्थगन का लाभ निर्धारित करते हुए, पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश पारित किये। उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन संयुक्तादेश से अपीलें अस्वीकार कर दी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी ने वेट इन्वॉयस में उद्ग्रहित निर्गत कर को राज्य सरकार की आस्थगन योजना के लिये अधिसूचना के तहत आस्थगन योजना का लाभ लिया गया है जो कि विधिसम्मत है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 17 का निर्वचन विधिसम्मत नहीं किया गया है। तर्क के समर्थन में (2012) 32 टैक्स अपडेट 164 (राजस्थान) मै 0 उमा पॉलिमर्स लिं 0 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा (1992) 198 आई.टी.आर. 297 (सूको.) आयुक्त आयकर बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा 0 लि 0 उद्धरित किये तथा कथन किया कि विधि का उद्देश्यपूर्ण निर्वचन किया जाना चाहिये। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटिशन नं 6903 / 2009 व 10230 / 2009 निर्णय दिनांक 24.11.2011 का अवलंब लिया गया है जो कि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय विषय राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत था, जबकि प्रस्तुत प्रकरण आस्थगन योजना के तहत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि अपील प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों से हुए विलम्ब के कारण, अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए, अपीलें अन्दर मियाद स्वीकार की जाने की भी प्रार्थना की है।
6. प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आंदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की आस्थगन योजना के तहत जारी आस्थगन योजना के लिये अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 के क्लॉज- 4, 5, 6 वेट अधिनियम की धारा 17, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा कर बोर्ड के निर्णयों के आलोक में आस्थगन लाभ की गणना

शुद्ध कर देय के आधार पर की गई है, जो कि विधिसम्मत है। अतः अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों अपीलों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्रों में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए दोनों अपीलों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए, प्रस्तुत अपीलें अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। आस्थगन योजना तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन किया गया। राज्य में वेट अधिनियम प्रवृत्त होने पर राज्य सरकार ने बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ ले रहे व्यवहारियों के लिये अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 द्वारा आस्थगन योजना का लाभ लेने हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था, जिसका लाभ लेते हुए व्यवहारी अपीलार्थी ने भी लाभ लेना प्रारम्भ किया था। वर्ष 2010–11 के कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा निर्गत कर को आस्थगित कर दावे को अस्वीकार कर वेट अधिनियम की धारा 17 अनुसार शुद्ध कर देय को ही आस्थगित किया जाना उचित मानते हुए कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत पारित किये हैं।

इस सम्बन्ध में अधिसूचना के कलॉज (4) को उद्धरित करना समीचीन होगा, जिसके आधार पर आस्थगन अंश निर्धारित किया गया है :—

**(4) An industrial unit shall be allowed to defer the payment of tax on sale made within state or in the course of inter State trade or commerce of the goods for which the Eligibility Certificate was issued under the old Schemes.**

यह अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा वेट अधिनियम की धारा 20(3) के तहत जारी की गई है। धारा 20 कर के भुगतान के विषय में है, जिसकी उपधारा (1) व (3) इस प्रकार है :—

**20. Payment of tax. –**

(1) Tax payable under this Act shall be deposited into a Government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government, on the basis of accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be notified by the State Government, and different intervals may be notified for different categories of dealers.

(2) .....

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, defer the payment of tax payable by any class of dealers, with or without interest, for any period on such conditions and under such circumstances as may be specified in the notification.

 

इस प्रावधान के तहत व्यवहारियों द्वारा राजकोष में कर भुगतान प्रावधित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 17 में भी कितना कर भुगतान किया जाना है, विहित किया गया है। धारा 17 में शुद्ध कर देयता की प्रक्रिया प्रावधित की गई है। धारा 17 के तहत कर देयता (Tax payable) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स उमा पोलिमर्स लिमिटेड बनाम राज्य सरकार के निर्णय सिविल सिट पिटिशन नं० 6903/2009 व 10230/2009 निर्णय दिनांक 24.11.2011 में अभिनिर्णीत किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की RIPS योजना के तहत कर देय शब्द को विश्लेषण कर निर्णीत किया गया है। निर्णय का सुसंगत अंश (ऐरा-9) इस प्रकार है :—

".....The contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because if it hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is [O(output tax) + R(reverse tax) + P(tax payable under section 4(2))]-I(Input tax). Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan Vat Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act. ...."

राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 12/2013 व 13/2013/जोधपुर मैसर्स सनसिटी अलॉयज प्रा.लि., जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्-तृतीय, जोधपुर निर्णय दिनांक 23.10.2013 में भी इसी निर्णय का अनुसरण करते हुए आस्थगन हेतु कर संदाय की गणना निर्गत कर में से आगत कर घटाकर शुद्ध कर देय को ही उचित माना है।

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थी का यह तर्क बलहीन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय दिनांक 24.11.2011 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। जबकि उक्त निर्णय में भी वेट अधिनियम की धारा 17 में विहित कर संदाय (Tax payable) का ही निर्वचन किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त निर्णयों का अवलंब लेकर अपील अस्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

३८-२०१६

(ईश्वरी लाल वर्मी)  
सदस्य

कलापूर  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य  
28.01.2015